177

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2252–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–952/अपील/1994–95

.....

राधिका प्रसाद तनय श्री नर्वदा ब्रा0
निवासी–ग्राम नर्रहा, तहसील गुढ़,
जिला–रीवा(म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

सम्पत्ति कुमार तनय श्री रामविशाल
निवासी–ग्राम नर्रहा, तहसील गुढ़,
जिला–रीवा(म0प्र0)

————अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/10/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि आराजी क्रमांक 365 पर नाम इन्द्राज किये जाने हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार गुढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर एक वर्ष पश्चात् तहसीलदार के पदस्थ होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.12.1994 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी प्रभारी, रायपुर गुढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ

पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुये दिनांक 16.08.1995 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 952/अपील/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 23–10–2001 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आराजी क्रमांक 365 के मूल भूमिस्वामी अनावेदक है, किन्तु आवेदक ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर नाम इन्द्राज किये जाने का निवेदन दिनांक 10.06.93 को नायब तहसीलदार के समक्ष दिया था । चूँकि आवेदक ने जो आवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें किस वर्ष का कब्जा दर्ज किया जाना है, इसका हवाला नहीं दिया है। यहाँ तक कि आवेदक संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही चाहता है, इसका स्पष्ट उल्लेख भी उक्त आवेदन में नहीं किया है। तहसीलदार ने मात्र अनुमान के आधार पर वर्ष 1992–93 में कब्जा लिखने का आदेश दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण आदेश है। सिर्फ अनुमान के आधार पर ही निर्णय पारित करना न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार को चाहिये था कि वे प्रकरण का पूर्ण अवलोकन कर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालते, किन्तु ऐसा न करते हुये प्रकरण का निराकरण संहिता की धारा 116 का मानकर किया गया है। संहिता की धारा 116 में अभिलेख में हुई प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर सुधार किया जा सकता है। संहिता की धारा 116 में नवीन प्रविष्टि अथवा कब्जा दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे स्थिति में तहसीलदार का आदेश विधिक त्रुटि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी इन समस्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही तहसीलदार के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण में विधिक विन्दुओं को ध्यान में रखते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 23–10–2001 विधिनुकूल होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,